न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 39/2019

उनवान

1. सायरी देवी पत्नी नौरतमल जाति खरोल निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– 1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.6.19

प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसर के साबिक खसरा नम्बर 5160 रकबा 194–0–0 में से 15–0–0 आराजी वादिया को ग्राम पंचायत रामसर कैम्प में दिनांक 15.5.69 को आवंटित हुयी थी। उक्त दिनांक से वादिया उक्त आराजी पर काबिज काश्त चलर आ रही है। उक्त आराजी वादिया के भूमिहीन होने से पिवधिवत रूप से आवंटित की गयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 9173/10780 रकबा 15.30 में से वादिया को हुये पूर्व आंवटन के आधार पर वादिया के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से चरागाह दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा पर वादिया को खातेदार घेषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में चरागाह दर्ज है। साथ ही प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादिया को उक्त आाजी दिनांक 15.6.69 को आवंटित हुयी थी। खसरीा गिरदावरी सम्वत 2023–26 में आवंटन का नोट अंकित है। बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी सिवायचक से चरागाह दर्ज कर दी है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कयम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादिया को विधिवत आवंटित हुयी थी ?
—— वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी पर वादिया खातेदारी प्राप्ति की अधिकारणी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख आवंटन आदेश व वादी का शपथ पत्र पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं प्रकरण में तथ्यसत्मक रिपोर्ट पेश की।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वाद ने आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज 694–696 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

उक्त आराजी वादिया को भूमिहीन होने से ग्राम पंचायत रामसर कैम्प में दिनांक 15.5.69 को विधिवत आवंटित हुयी थी। जिसका आवंटन आदेश वादिया द्वारा पेश किया गया है। तहसीलदार नसीराबाद ने भी अपनी रिपोर्ट में आवंटन के तथ्य को स्वीकार किया है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2023–26 में उक्त आराजी वादिया को आवंटित होने का नोट भी अंकित है। खसरा गिरदावरी उक्त आराजी सिवायचक खाते में ही दर्ज है। साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश के कम संख्या 7 में भी अंकित है कि आवंटित भूमि चरागाह व आबादी नही है। किन्तु वादिया को विधिवत आंवटित आराजी को नियमानुसार वादिया के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से चरागाह दर्ज कर दिया गया।

राज0 पैरोकार ने अपनी रिपोर्ट में भी कथन किया है कि आराजी मुतनाजा का आंवटन वादिया को दिनांक 15.5.69 को किया गया। साथ ही तहसीलदार नसीराबाद ने यह स्पष्ट नही किया है कि उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही हुयी है। या वादिया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की है।

वादिया द्वारा प्रस्तुत आवंटन सम्बन्धित दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादिया को आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन हुआ जो आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है। उक्त आवंटन को नोट खसरा गिरदावरी सम्वत् 2023–26 में अंकित किया गया। किन्तु उक्त नोट बिना किसी नामान्तकरण के दर्ज करने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादिया के नाम दर्ज नही की गयी। राजस्व अधिकारियों/कार्मिको को उक्त आराजी विधिवत तरीके से राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा की गयी गलती के कारण वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से बिना किसी आदेश चरागाह दर्ज कर दी गयी। तहसीलदार नसीराबाद ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उक्त आराजी बंदोबस्त विभाग ने सिवायचक से चरागाह दर्ज कर दी। वादिया द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी उक्त आराजी पर वादिया का कब्जा सिद्व होता है। वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से चरागाह दर्ज होने के आधार पर वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही की है। वादिया के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादिया को दिनांक 15.6.69 को आवंटित की गयी का आवंटन आज दिवस तक कायम है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज 694–696 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब तक आंवटन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक चाहे राजस्व रेकार्ड में अंकन हो या नही हो आवंटन बहाल रहता है। उक्त नजीर प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा पायी जाती है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

है। उक्त आराजी वादिया के नाम दर्ज करनी चाहिये थी जो बदोंबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार
बरागाह दर्ज कर दी है। वादिया आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति की अधिकारणी है। तनकी संख्या
व 2 बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 9173/10780 में से 15–0–0 (2.40 है0) पर
वादिया का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादिया को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है।
तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं
वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner